जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

डिवाईस लगाकर विद्युत मीटर बन्द करने वाला मुख्य सरगना गिरफ्तार

52 विद्युत मीटरों को डिवाईस लगाकर किया टैम्पर्ड

जयपुर, 21 अक्टूबर। विद्युत चोरी पर प्रभावी कार्यवाही कर अंकुश लगाने के लिए विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना, कोटा शहर व कोटा ग्रामीण की विशेष टीम द्वारा कार्यवाही की जाकर मीटर में डिवाईस लगाकर मीटर बंद करने वाले सरगना को मुखबीर की सूचना पर गिरफ्तार किया है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम के कोटा शहर थाने में दर्ज अभियोगों में डिवाईस लगाकर विद्युत मीटर बन्द करने वाले मुख्य सरगना एवं आरोपियों की धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) सरिता बडगूजर के निर्देशन में थानाधिकारी, विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना, कोटा शहर व कोटा ग्रामीण की एक विशेष टीम गठित की गयी। इस टीम द्वारा की गई कार्यवाही में मीटर में डिवाईस लगाकर मीटर बंद करने वाले सरगना राकेश मीणा पुत्र रामस्वरूप मीणा निवासी केशवराय पाटन जिला बूंदी को मुखबीर की सूचना पर 13 अक्टूबर को गिरफ्तार कर, माननीय विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को पूछताछ के लिए 3 दिवस के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) द्वारा उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जयपुर एवं कॉरपोरेट कार्यालय, जयपुर की टीम को तुरन्त कोटा रवाना किया गया, जहां अनुसंधान अधिकारियों के साथ आरोपी से कड़ी पूछताछ की गयी, जिसमें आरोपी राकेश मीणा ने बताया कि उसके द्वारा कोटा शहर एवं बूंदी में लगभग 52 विद्युत मीटरों में डिवाईस लगाकर, मीटर टैम्पर्ड किये गये है। आरोपी से अवैध 19 थ्री फेस मीटर व 12 सिंगल फेस पुराने मीटर, जिनमें डिवाईस लगी हुई थी, जब्त किये गये। आरोपी के निशानदेही पर बूंदी शहर में दो परिसरों की जांच की जाकर, मौके पर स्थापित दोनों मीटरों को जब्त किया गया। आरोपी ने विभाग के संलिप्त कर्मचारियों के भी नाम बताये हैं, जिनके विरूद्ध विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

श्री बोहरा ने बताया कि कोटा संभाग में मीटर टैम्पर्ड करके, विद्युत चोरी करने वाले उपभोक्ताओं से इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 72 लाख रूपये का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। विभाग द्वारा ऐसे मामलों में सभी वृतों में सघन अभियान चलाया जा रहा है एवं विद्युत चोरी में लिप्त उपभोक्ताओं व संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 462/2016